पत्रांक :— 09 / साई.यो.—15 / 2012.........526

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

आर०के० महाजन

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेख एवं योजना),
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
राज्य मुख्यालय से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी

पटना, दिनांक 4/8/ 2015.

विषयः— **राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 04.08.15 से 10.08.15 तक छात्रवृति, पोशाक, साइकिल योजना एवं मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पारदर्शिता के साथ सीधा कैश—ट्रान्सफर वितरण कार्यक्रम के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालय स्तर पर दिनांक 20.07.15 से 27.07.15 तथा 30.07.15 से 03.08.15 तक लाभुक छात्र / छात्राओं को विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं अन्तर्गत नामांकित एवं अध्ययरत छात्र / छात्राओं को साईकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत नकद देय राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 20.07.15 से 27.07.15 एवं 30.07.2015 से 03.08.2015 के दरम्यान किसी कारणवश राशि वितरित न होने की स्थिति में विद्यालय स्तर पर राशि के वितरण का कार्यक्रम दिनांक—04.08.15 से 10.08.15 तक विस्तारित की जाती है।

उपरोक्त पुनर्निर्धारित तिथि के दरम्यान संबंधित निदेशालय से निर्गत आवंटन के विरूद्ध कर्णांकित राशि की निकासी के उपरांत लाभुकों को नकद राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाय। पुनर्निर्धारित तिथि के दरम्यान राशि वितरित न होने की स्थिति संबंधित दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों को चिह्नित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 4/8/15

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :— 09 / साई.यो.—15 / 2012.........526

पटना, दिनांक 4/8/ 2015

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/8/15

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

F/LetterHindi 01.01.15